न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण (जिला. पाली)

लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 188/2015

वादी :–	बनाम	प्रतिवादी :–
1. डूंगाराम पुत्र हीराराम जाति–माली, निवासी– बलुन्दा तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.)		1. भींयाराम पुत्र हीराराम 2. बाबूलाल पुत्र हीराराम 3. सुगनादेवी पत्नि हीराराम जाति–माली, निवासी– बलुन्दा तह.–जैतारण, जिला–पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 12/06/2015**

उपस्थितः. 1. वादी स्वयं उपस्थित ।
2. प्रतिवादी उपस्थित।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 12/06/2015**

राज्य सरकार के आदेशानुसार अटल सेवा केन्द्र–बलुन्दा पर आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट'' में वादीगण ने एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88, एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का प्रस्तुत किया कि सरहद मौजा–बलुन्दा, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1108 रकबा 8–15 बीघा की भूमि आई हुई हैं। उक्त भूमि में वादी का नाम दुर्गाराम पुत्र हीराराम दर्ज हैं। अज्ञानतावश दस्तावेजात में दुर्गाराम पुत्र हीराराम दर्ज करवा दिया था, जो वादी का बोलता नाम था। जबकि वादी का वास्तविक नाम डूंगाराम पुत्र हीराराम सही हैं। वाद–पत्र के ताईद में दस्तावेजात डूंगाराम पुत्र हीराराम का चुनाव फोटो परिचय पत्र संख्या RJ/21/159/207535 दिनांक 08/08/2008 व आधार कार्ड संख्या 734283090975 की छाया प्रतियाँ भी प्रस्तुत की, जिससे वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि होती हैं। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने एवं वादी का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम दुर्गाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर डूंगाराम पुत्र हीराराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। आज दिनांक 12/06/2015 को ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ने तहरीरी राजीनामा भी इसी आशय का पेश कर विवादित आराजी की भूमि में वादी का नाम वास्तविक रूप से समझाईस से आपस में राजी बाजी हो जाने तथा दर्ज गलत नाम दुर्गाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी का वास्तविक नाम डूंगाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं। लिहाजा बाद पहिचान पृथक से राजीनामा तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा मजमा–ए–आम लोक अदालत शिविर– बलुन्दा में जानकारी भी प्राप्त की गई। प्रस्तुत तस्दीकसुदा राजीनामा एवं उक्त दस्तावेजात अनुसार दुर्गाराम पुत्र हीराराम गलत रूप से दर्ज होना तथा वादी का वास्तविक नाम डूंगाराम पुत्र हीराराम होना बखूबी साबित हैं। जिससे वादी का वाद माफिक राजीनामा एवं साक्ष्य सबूत के उक्त दस्तावेजात स्वीकार किया जाना तथा वादी के गलत दर्ज नाम दुर्गाराम पुत्र हीराराम जाति– माली निवासी– बलुन्दा के स्थान पर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वास्तविक सही नाम डूंगाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त करवाया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः माफिक राजीनामा तस्दीक शुदा मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा– बलुन्दा, तहसील–जैतारण (जिला–पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1108 रकबा 8–15 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम दुर्गाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम डूंगाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 12/06/2015 को आयोजित लोक अदालत / केम्प कोर्ट 2015 शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा**, आर०ए०एस०

वादी :-

1. डूंगाराम पुत्र हीराराम
जाति-माली, निवासी- बलुन्दा
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. भीयाराम पुत्र हीराराम
2. बाबूलाल पुत्र हीराराम
3. सुगनादेवी पत्नि हीराराम
जाति-माली, निवासी- बलुन्दा
तह.-जैतारण, जिला-पाली (राज.)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा, व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु०न० :रा०वा० स०: 188/2015

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....-........ व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक राजीनामा तरदीक सुदा मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा- बलुन्दा, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1108 रकबा 8-15 बीघा भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादी के गलत दर्ज नाम दुर्गाराम पुत्र हीराराम के स्थान पर वास्तविक एवं सही नाम डूंगाराम पुत्र हीराराम दुरूस्त रूप से दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार, जैतारण को आदेशित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत......-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर .... -......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र बलुन्दा में आज तारीख 12/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला-पाली)

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			गुत्फरिक		
मिजानः-			मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिकी के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner